कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र)

ईमेल:- deanratlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाश नंबर :- 07412-284226 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN – SAVE LIFE

अंगदान करे – जीवन बचाऐं

क्रमांक : 7033 /स्था/जी.एम.सी./2021 रतलाम,दिनांक :– 26/7/2021

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 2–06/2018/1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 803/स्था./अराज/2018 भोपाल दिनांक 20.09.2018 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूची के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम अन्तर्गत स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों पर एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी विज्ञापन के अनुसार प्राप्त प्रतिक्षा सूची के आधार पर पात्र अभ्यार्थियों को अनन्तिम रूप से म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत वेतनमान रूपये 28700/– सातवें वेतनमान अनुसार (वेतन लेवल 5) निम्नांकित स्टॉफ नर्स को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक इस स्वशासी संस्था में नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	निशा के. नायर	प्रसन्नन नायर	UR/SAMVIDA	
2	पदमा शर्मा	मयुर शर्मा	UR/SAMVIDA	
3	जोईस मसीह	जेकब मसीह	UR/SAMVIDA	
4	डिम्पल नेल्सन	सवित निक्सोन नेल्सन	UR/SAMVIDA	
5	शालिनी दीक्षित	ओमप्रकाश दीक्षित	UR/SAMVIDA	
6	लता जैन	अमरचन्द जैन	UR/SAMVIDA	
7	किरण यादव	मूलचन्द यादव	UR/SAMVIDA	
8	ज्योति महतकर	सुरेश महतकर	UR/SAMVIDA	
9	सारिका कुशवाह	सुन्दरलाल कुशवाह	UR/SAMVIDA	
10	मीनाक्षी पिल्ले	राजु पिल्ले	UR/SAMVIDA	
11	महिमा यादव	पी.एन. यादव	UR/SAMVIDA	

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

1) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर 2000 में दिये गये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदो पर चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये है जो कि हर प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया हैं।
2) यह नियुक्ति अपिव आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चत न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी।
3) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4) म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होगें।
5) नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नही होगी किंतु एन.पी.एस. की पात्रता होगी जो उनके मूलवेतन से 10 प्रतिशत हेतु आधार पर या जो भी शासन द्वारा निर्धारित परवर्तित दर से काटा जायेगा एवं उतना ही भाग स्वशासी संस्था द्वारा अपने अंशदान स्वरूप के रूप में देय होगा।
6) चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 07 दिवस में अनिवार्यत कार्यभार ग्रहण करना होगा।
7) आपकी सेवाएं किसी भी समय नियोक्ता द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।

निरतर 2

Scanned with CamScanner

8) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एव तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान मे वेतन दिया जाना प्रारभ किया जायेगा।

9) आपकी वरिष्ठता सस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी।

10) इस नियुक्ति मे आरक्षण सबधी समस्त प्रावधानो को ध्यान मे रखा गया है।

11) आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एव परिवर्तन कर सकेगी।

12) एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं को स्थानान्तरित नही होगी।

13) उपरिथति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियॉं एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करना होगी तथा मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगी।

14) संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नही है।

15) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।

16) संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

17) शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तो में परिवर्तन किये जा सकते है यह परिवर्तन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।

18) भविष्य में यदि कभी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।

19) इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी भी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते।

20) बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के अवकाश पर नही जा सकेगें।

21) म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना की अधिसूचना क एफ 3597/2009/दो/सी–1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयो/स्वास्थ्य केन्द्रो/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनमें जुडा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से अत्यावश्यक सेवा संधरण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

22) स्टॉफ नर्स को न्युनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

DEAN
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सामहाविद्यालय रतलाम

क्रमांक : 7034 – 42 /स्था./जी.एम.सी./2021 रतलाम, दिनांक :– 26/7/2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2) सभागायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।
3) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
4) संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
5) अस्पताल अधीक्षक सह संयुक्त संचालक, शा.चि.महा. रतलाम।
6) स्थानीय लेखा शाखा कार्यालय रतलाम की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टाय पेड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
7) सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय रतलाम।
8) संबंधित स्टॉफ नर्स की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9) कार्यालय आदेश नस्ति।

DEAN
Government Medical College
Ratlam (M.P.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सामहाविद्यालय रतलाम

Scanned with CamScanner